

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 26.02.2019

विषय:- बिहार विनियोग अधिनियम, 2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2019 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 21.02.2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2019 (बिहार अधिनियम 3, 2019) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-04/2019/लेज:-1557 एवं 1558 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 25.02.2019 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-276, दिनांक-25.02.2019 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-276 दिनांक-25.02.2019 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-3 भाग-1 में पृष्ठ सं0-1 से 153 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है। राज्य योजना अन्तर्गत यदि उद्व्यय के प्रत्याशा में राशि प्रावधानित की गई हो तो, उसके लिए योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उद्व्यय/उद्व्यय का सामंजन प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाना है ।

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को पत्रांक: 224 दिनांक: 12.02.2019 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।
5. तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट <http://egazette.nic.in/> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019
 प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी


ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019
 प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019
 प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक,


कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019


प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ विशेष सचिव, प्रभारी शाखा-10/अपर सचिव, ई-गवर्नेंस कोषांग/अपर सचिव, कोषागार शाखा/ अपर सचिव, स्थापना/अपर सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/सचिव(व्यय), वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019


प्रतिलिपि- सभी उप बजट नियंत्रक सह उप सचिव/उप निदेशक/लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग /प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें तथा सभी विभाग/जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल भी कर दें।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-21/2019- 257/वि0 पटना, दिनांक: 26.02.2019

प्रतिलिपि- बजट शाखा के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं0 पटना 276) पटना, सोमवार, 25 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

25 फरवरी 2019

सं० एल०जी०-01-04/2019/1557 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 21 फरवरी 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 3, 2019]

बिहार विनियोग अधिनियम, 2019

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2018-19 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 10153,71,63,000 (दस हजार एक सौ तिरपन करोड़ इकहत्तर लाख तिरसठ हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2018 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 10153,71,63,000 (दस हजार एक सौ तिरपन करोड़ इकहत्तर लाख तिरसठ हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2018 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	1,25,37,49,000		1,25,37,49,000
		पूंजी			
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	77,01,000		77,01,000
		पूंजी			
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	3,25,77,000		3,25,77,000
		पूंजी	30,19,53,000		30,19,53,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1,63,50,000		1,63,50,000
		पूंजी			
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व			
		पूंजी			
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	20,00,00,000		20,00,00,000
		पूंजी			

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भरित	योग
1	2	3	4	5	6
07	निगरानी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	7,71,69,57,000		7,71,69,57,000
		पूंजी	9,42,39,25,000		9,42,39,25,000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	9,33,00,00,000		9,33,00,00,000
		पूंजी			
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	27,58,78,000		27,58,78,000
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी			
15	पेंशन	राजस्व	8,70,16,00,000	1,06,00,000	8,71,22,00,000
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,08,02,00,000		1,08,02,00,000
		पूंजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	10,25,02,000		10,25,02,000
		पूंजी			
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	3,72,75,000		3,72,75,000
		पूंजी	5,03,000		5,03,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	7,23,08,31,000		7,23,08,31,000
		पूंजी	1,000		1,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	13,69,29,12,000		13,69,29,12,000
		पूंजी			
22	गृह विभाग	राजस्व	3,47,71,73,000		3,47,71,73,000
		पूंजी	79,49,55,000		79,49,55,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	54,00,89,000		54,00,89,000
		पूंजी	15,00,00,000		15,00,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	28,00,00,000		28,00,00,000
		पूंजी	35,83,00,000		35,83,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	40,82,000		40,82,000
		पूंजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	8,05,00,000		8,05,00,000
		पूंजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व			
		पूंजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	34,27,000		34,27,000
		पूंजी	20,00,00,000		20,00,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	2,30,000		2,30,000
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	3,81,45,000		3,81,45,000
		पूंजी			

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारत	योग
1	2	3	4	5	6
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	36,00,000	44,20,000	80,20,000
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व		3,60,00,000	3,60,00,000
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	14,78,14,000		14,78,14,000
		पूंजी	1,10,00,00,000		1,10,00,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	13,00,01,000		13,00,01,000
		पूंजी			
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व			
		पूंजी	5,00,00,00,000		5,00,00,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	5,37,20,000		5,37,20,000
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	25,00,00,000		25,00,00,000
		पूंजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	38,60,37,000		38,60,37,000
		पूंजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	5,93,84,32,000		5,93,84,32,000
		पूंजी			
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	20,00,000		20,00,000
		पूंजी	15,00,00,000		15,00,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	50,78,96,000		50,78,96,000
		पूंजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	9,00,000		9,00,000
		पूंजी			

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	15,20,00,000		15,20,00,000
		पूंजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व	10,16,89,50,000		10,16,89,50,000
		पूंजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	6,44,51,05,000		6,44,51,05,000
		पूंजी	3,00,00,000		3,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूंजी	2,15,00,00,000		2,15,00,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	1,04,94,00,000		1,04,94,00,000
		पूंजी			
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	2,48,74,34,000		2,48,74,34,000
		पूंजी	10,39,000		10,39,000
योग राजस्व			81,82,54,67,000	5,10,20,000	81,87,64,87,000
योग पूंजी			19,66,06,76,000		19,66,06,76,000
महायोग			1,01,48,61,43,000	5,10,20,000	1,01,53,71,63,000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

25 फरवरी 2019

सं० एल०जी०-01-04/2019/1558/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2019 को अनुमत बिहार विनियोग अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 3, 2019) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 3, 2019]
THE BIHAR APPROPRIATION ACT, 2019
AN
ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTYFIRST DAY OF MARCH, 2019

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*-

(1) This Act may be called the Bihar Appropriation Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from 1st April 2018.

2. Withdrawal of total Rs.- 10153,71,63,000 (Ten thousand One hundred Fifty three crore Seventy one lakh and Sixty three Thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2018-19.- Total Rs.- 10153,71,63,000 (Ten thousand One hundred Fifty three crore Seventy one lakh and Sixty three Thousand), which will not be more than the amount mentioned in column-6 of the schedule of this Act from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 1st April, 2018 in relation to the services mentioned in column-2 of the Schedule of this Act.

3. Appropriation.-The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April, 2018 and will be appropriated in respect of them.

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
01	Agriculture Department	Revenue	1,25,37,49,000		1,25,37,49,000
		Capital			
02	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	77,01,000		77,01,000
		Capital			
03	Building Construction Department	Revenue	3,25,77,000		3,25,77,000
		Capital	30,19,53,000		30,19,53,000
04	Cabinet Secretariat Department	Revenue	1,63,50,000		1,63,50,000
		Capital			
05	Secretariat of the Governor	Revenue			
		Capital			
06	Election Department	Revenue	20,00,00,000		20,00,00,000
		Capital			

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
07	Vigilance Department	Revenue			
		Capital			
08	Art, Culture and Youth Department	Revenue			
		Capital			
09	Co-operative Department	Revenue	7,71,69,57,000		7,71,69,57,000
		Capital	9,42,39,25,000		9,42,39,25,000
10	Energy Department	Revenue	9,33,00,00,000		9,33,00,00,000
		Capital			
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	27,58,78,000		27,58,78,000
		Capital			
12	Finance Department	Revenue			
		Capital			
13	Interest Payment	Revenue			
		Capital			
14	Repayment of Loans	Revenue			
		Capital			
15	Pension	Revenue	8,70,16,00,000	1,06,00,000	8,71,22,00,000
		Capital			
16	Panchayati Raj Department	Revenue	1,08,02,00,000		1,08,02,00,000
		Capital			
17	Commercial Tax Department	Revenue			
		Capital			
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	10,25,02,000		10,25,02,000
		Capital			
19	Environment , Forest and Climate Change	Revenue	3,72,75,000		3,72,75,000
		Capital	5,03,000		5,03,000
20	Health Department	Revenue	7,23,08,31,000		7,23,08,31,000
		Capital	1,000		1,000
21	Education Department	Revenue	13,69,29,12,000		13,69,29,12,000
		Capital			

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
22	Home Department	Revenue	3,47,71,73,000		3,47,71,73,000
		Capital	79,49,55,000		79,49,55,000
23	Industries Department	Revenue	54,00,89,000		54,00,89,000
		Capital	15,00,00,000		15,00,00,000
24	Information and Public Relation Department	Revenue			
		Capital			
25	Information Technology Department	Revenue	28,00,00,000		28,00,00,000
		Capital	35,83,00,000		35,83,00,000
26	Labour Resource Department	Revenue	40,82,000		40,82,000
		Capital			
27	Law Department	Revenue	8,05,00,000		8,05,00,000
		Capital			
28	High Court of Bihar	Revenue			
		Capital			
29	Mines and Geology Department	Revenue			
		Capital			
30	Minorities Welfare Department	Revenue	34,27,000		34,27,000
		Capital	20,00,00,000		20,00,00,000
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	2,30,000		2,30,000
		Capital			
32	Legislature	Revenue	3,81,45,000		3,81,45,000
		Capital			
33	General Administration Department	Revenue	36,00,000	44,20,000	80,20,000
		Capital			
34	Bihar Public Service Commission	Revenue		3,60,00,000	3,60,00,000
		Capital			
35	Planning and Development Department	Revenue	14,78,14,000		14,78,14,000
		Capital	1,10,00,00,000		1,10,00,00,000

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
36	Public Health Engineering Department	Revenue	13,00,01,000		13,00,01,000
		Capital			
37	Rural Works Department	Revenue			
		Capital	5,00,00,00,000		5,00,00,00,000
38	Prohibition, Excise and Registration Department	Revenue	5,37,20,000		5,37,20,000
		Capital			
39	Disaster Management Department	Revenue	25,00,00,000		25,00,00,000
		Capital			
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	38,60,37,000		38,60,37,000
		Capital			
41	Road Construction Department	Revenue			
		Capital			
42	Rural Development Department	Revenue	5,93,84,32,000		5,93,84,32,000
		Capital			
43	Science and Technology Department	Revenue	20,00,000		20,00,000
		Capital	15,00,00,000		15,00,00,000
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	50,78,96,000		50,78,96,000
		Capital			
45	Sugar Industries Department	Revenue	9,00,000		9,00,000
		Capital			
46	Tourism Department	Revenue	15,20,00,000		15,20,00,000
		Capital			
47	Transport Department	Revenue	10,16,89,50,000		10,16,89,50,000
		Capital			
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	6,44,51,05,000		6,44,51,05,000
		Capital	3,00,00,000		3,00,00,000
49	Water Resources Department	Revenue			
		Capital	2,15,00,00,000		2,15,00,00,000

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
50	Minor Water Resource Department	Revenue	1,04,94,00,000		1,04,94,00,000
		Capital			
51	Social Welfare Department	Revenue	2,48,74,34,000		2,48,74,34,000
		Capital	10,39,000		10,39,000
Total Revenue			81,82,54,67,000	5,10,20,000	81,87,64,87,000
Total Capital			19,66,06,76,000		19,66,06,76,000
Grand Total			1,01,48,61,43,000	5,10,20,000	1,01,53,71,63,000

By Order of the Governor of Bihar,
Jitendra Kumar,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 276-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>